



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
कार्मिक विभाग

सं. E/MCf/RBL/Prom./LAB SUPDT./MED

दिनांक : 10.12.2021
11

कार्यालय आदेश संख्या:-345/2021

विषय:-आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत लैब तकनीशियन (वेतन लेवल 05) से लैब अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय के पत्र सं.E/MCf/RBL/Prom./LAB SUPDT./MED दिनांक:10.12.2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत लैब अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर पदोन्नति हेतु लैब तकनीशियन (वेतन लेवल 05) के पद पर कार्यरत कर्मचारी लैब अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्तता घोषित की गई है।

अतः आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के चिकित्सा विभाग में लैब अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के वर्तमान रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को लैब तकनीशियन (वेतन लेवल 05) से लैब अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए उनके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पदस्थ किया जाता है:-

S. N.	Emp. No	Name of Employee (S/Sri)	Cat.	Deptt.	Design. & Pay Level-05	Promoted As in Level-06
1	52000200341	Ratan Mani	UR	Medical	Lab Technician	Lab Superintendent

यदि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध डी.एण्ड.ए.आर. एवं विजिलेन्स से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो या प्रक्षेपित हो जिसके लंबित या प्रक्षेपित होने पर कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो उक्त संबंध में इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

“This panel/promotion is provisional and subject to the outcome of the main SLPs and contempt petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012- Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari & Ors and any other cases pending in any court of law on the subject panel/promotion.”

यदि उपरोक्त कर्मचारी को पहले से ही संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है तो इन्हे उपरोक्त पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

संबंधित कर्मचारी अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प (एक माह के अंदर) अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजें।

Madan
11/12/21

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
2. वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
3. PS to PCPO :- आरेडिका/रायबरेली की वेबसाइट/मोबाइल एप पर अपलोड करने के संबंध में।
4. संबंधित कल्याण निरीक्षक/आरेडिका/रायबरेली।
5. संबंधित कर्मचारी।
6. सभी सूचना पट्ट।



MCF/RBL